Court Case No - 415/23.

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

Summons

फाइल. सं. NCST/DEV-794/MP/38/2022-ESDW

सेवा में,

डॉ. इलैयाराजा टी.,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
जिला इंदौर,
नवीन प्रशासनिक संकुल, मोती तबेला,
इंदौर–452007, मध्य प्रदेश
ई-मेल : dmindore@nic.in

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलें काअन्वेषण करने का निश्चय किया है, अत: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष **दिनांक 11.04.2023 को 03:00 बजे,** आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एततद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए सम्बंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामलें का सन्दर्भ:-

संदर्भ 1. समाचार कतरन, ई. टीवी, मध्य प्रदेश में दिनांक 26.06.2021 में प्रकाशित समाचार "प्रदूषण की चपेट में अजनार नदी: घातक रसायन से खतरे में 50 गाँव, प्रशासन ने फेरी निगाहें" के सम्बन्ध में.

सन्दर्भ 2: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 04.10.2022.

सन्दर्भ 3: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 23.12.2022.

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 29, मार्च, 2023 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी

मोहर

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003